

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक:-एफ-2()प्रशिक्षण/आवंटन/ICDS/17/ 47373-376

जयपुर, दिनांक: 27.3.18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
.....।

विषय:- प्रशिक्षण व्ययों के भुगतान हेतु अतिरिक्त बजट आवंटन वर्ष 2017-18 बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षण व्ययों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निम्न मद अंतर्गत अतिरिक्त बजट आवंटन किया जाता है:-

मांग संख्या-33

2236- पोषण

02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण

101- विशेष पोषण कार्यक्रम

(01)- महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम द्वारा

[02]- एकीकृत बाल विकास योजना

29- प्रशिक्षण (केन्द्रीय सहायता/राज्य निधि)

रसरो

(राशि ~~रुपये~~ में)

क.सं.	नाम जिला कार्यालय	केन्द्रीय सहायता	राज्य निधि	कुल आवंटन
1	उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, भरतपुर	172.50	115.00	287.50
2	उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, चुरू	15.90	10.60	26.50
3	उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, नागौर	109.20	72.80	182.00
4	उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर	109.20	72.80	182.00
	योग:-	406.80	271.20	678.00

उक्तानुसार आवंटित राशि का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा विभाग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, भारत सरकार के निर्धारित मापदण्डों (नॉमर्स) एवं उक्त मैचिंग शेयर के अनुपात में नियमानुसार किया जावे।

27-3-18
उपनिदेशक (प्रशिक्षण)

जयपुर, दिनांक: 27.3.18

क्रमांक:-एफ-2()प्रशिक्षण/आवंटन/ICDS/17/ 47377-378

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय को आईएफएमएस पर अपलोड करवाने हेतु।
2. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

27-3-18
उपनिदेशक (प्रशिक्षण)